

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1981/अग्रहायण 3, 1903
No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 24, 1981/AGRAHAYANA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1981

का.नि.का. 28-ई.—केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 4, तारीख 15 अगस्त, 1981 में प्रकाशित सरकारी अभिसूचना संख्या का.नि. का. 218 तारीख 4 अगस्त, 1981 द्वारा वेवलाली छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि को 25 नवम्बर, 1981 तक बढ़ाया था ;

और केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए, उद्धृत छावनी बोर्ड वेवलाली, के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि को 25 मई, 1982 तक और बढ़ाया जाना आवश्यक है ;

अतः, अब, छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उप-धारा-1 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्वारा छावनी बोर्ड देवलाली के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 25 मई, 1982 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में, निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फाइल संख्या 29/43/सी./भू. व छा./78/3301-सी/डी (क्यू व सी)]

भास्कर घोष, संगठित सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th November, 1981

S.R.O. 25(E).—Whereas the Central Government by Government notification No. S.R.O. 218 dated the 4th August, 1981, published in Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 15th August, 1981, had extended the term of office of all the elected members of Deolali Cantonment Board up to 25th November 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that in order to avoid administrative difficulties it is necessary to further extend the term of office of all the elected members of the said Cantonment Board, Deolali, up to 25th May, 1982;

Now, therefore, in exercise of the proviso to sub-Section (1) of Section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby further extends the term of office of all the elected members of Cantonment Board, Deolali, up to 25th May, 1982, or the date of notification of elections of their successors in office in the official gazette, whichever, is earlier.

[F. No. 29/43/C|L&C|78/3301-C|D(Q&C)]

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy.